



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052025-262951
CG-DL-E-07052025-262951

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350]
No. 350]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 6, 2025/वैशाख 16, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 6, 2025/VAISAKHA 16, 1947

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2025

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (उत्पादन लागत का अवधारण) विनियम, 2025
(2025 की सं. 02)

फा. सं. सीसीआई/विनी-सीओपी/01/2025-26.—भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 64 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (उत्पादन लागत का अवधारण) विनियम, 2025 है।
- (2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
 - (क) “अधिनियम” से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है;
 - (ख) “औसत परिवर्ती लागत” से निर्दिष्ट अवधि के दौरान कुल आउटपुट से विभाजित कुल परिवर्ती लागत अभिप्रेत है;

(ग) विनियम 3 में यथाप्रयुक्त "लागत" और उसके व्युत्पन्न से निम्नलिखित संदर्भ लिया जा सकेगा:

- i. "कुल लागत" से उत्पादन की वास्तविक लागत अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत उपभोग की गई सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष मजदूरी और वेतन, प्रत्यक्ष व्यय, अवक्षयण, संकर्म उपरिशीर्ष, गुणवत्ता नियंत्रण लागत, अनुसंधान और विकास लागत, पैकेजिंग लागत, निर्दिष्ट अवधि के दौरान उत्पाद हेतु प्रशासनिक उपरिशीर्ष जैसी मदें भी सम्मिलित हैं;
 - ii. "कुल परिवर्ती लागत" से खंड (i) में निर्दिष्ट ऐसी कुल लागत अभिप्रेत है जिसमें नियत लागत और निर्दिष्ट अवधि के दौरान उत्पाद हेतु नियत उपरिशीर्षों, यदि कोई हो, के अंश को घटा दिया गया है;
 - iii. "कुल परिहार्य लागत" से ऐसी लागत अभिप्रेत है जिसमें नियत लागत और निर्दिष्ट अवधि के दौरान उत्पाद हेतु नियत उपरिशीर्षों, यदि कोई हो, के अंश को घटा दिया गया है;
 - iv. "औसत परिहार्य लागत" से ऐसी कुल लागत अभिप्रेत है जिसे 'कुल परिहार्य लागत' के आकलन के लिए निर्दिष्ट अवधि के दौरान विचार में ली गई कुल आउटपुट से विभाजित किया गया है;
 - v. "दीर्घ कालिक औसत परिवृद्धि लागत" (एलआरएआईसी) से ऐसी सभी परिवर्ती और नियत लागतों जिसके अंतर्गत डूबी हुई लागतें भी सम्मिलित हैं, का औसत अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विनिर्दिष्ट उत्पाद और सेवा के उत्पादन हेतु माने जा सकते हैं जिसके अंतर्गत अन्वेषणाधीन अवधि से पूर्व या दौरान उपगत कोई उत्पाद-विनिर्दिष्ट नियत लागतें भी हैं। ऐसी दशा में, जहां बहु-उत्पाद उद्यम हैं, एलआरएआईसी में उस सीमा तक, सामान्य लागतों का आनुपातिक अंश भी सम्मिलित होता है, जिस तक ऐसी लागतें प्रश्नगत उत्पाद या सेवा के उत्पादन द्वारा या परिवृद्धि के रूप से होती है;
 - vi. "औसत कुल लागत" से ऐसी कुल लागत अभिप्रेत है जिसे निर्दिष्ट अवधि के दौरान कुल आउटपुट से विभाजित किया गया है;
- (घ) "आयोग" से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है;
- (ङ) "उत्पाद" से अधिनियम में यथापरिभाषित, यथास्थिति, माल या सेवाएं अभिप्रेत हैं;
- (च) "सीमांत लागत" कुल लागत में ऐसा परिवर्तन है जो उस समय उदभूत होता है जब उत्पादित मात्रा में एक युनिट का परिवर्तन होता है।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जो परिभाषित नहीं हैं क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका, यथास्थिति, अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में है।

3. लागत का अवधारण. —

अधिनियम की धारा 4 के स्पष्टीकरण में "लागत" को साधारणतः सीमांत लागत के लिए परोक्षी के रूप में औसत परिवर्ती लागत के रूप में संगणित किया जाएगा:

परंतु यह कि विनिर्दिष्ट मामलों में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आयोग, उद्योग, बाजार और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी की प्रकृति पर निर्भर करते हुए किसी अन्य सुसंगत लागत अवधारणा को विचार में ले सकेगा जैसे कि औसत कुल लागत, औसत परिहार्य लागत, दीर्घकालिक औसत परिवृद्धि लागत।

4. विशेषज्ञों का नियोजन. —

- (1) लागतों के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक यथोचित विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा।
- (2) जहां कार्यावाहियों का पक्षकार, विनियम 3 के अधीन आयोग द्वारा अवधारित लागत के संबंध में कोई विवाद उठाता है, वहां वह लिखित में प्रस्तुत किए जाने वाले कारणों से आयोग को लागत का अवधारण करने में सहायता करने के लिए विशेषज्ञ(विशेषज्ञों) की नियुक्ति करने का अनुरोध कर सकेगा।

- (3) कार्यावाहियों के पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करने के पश्चात् आयोग, यदि वह ऐसा विनिश्चय करता है तो वह उसे लागत के अवधारण करने में समर्थ बनाने के लिए अनुरोध करने वाले पक्षकार की लागत पर अपनी पसंद के विशेषज्ञ(विशेषज्ञों) की नियुक्ति कर सकेगा।

5. गोपनीय व्यवहार के लिए अनुरोध. –

यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक को दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए प्रस्तुत किसी अनुरोध पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2024 के अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा।

6. कठिनाई का निवारण. –

ऐसी परिस्थिति में, जिसके लिए अधिनियम, नियमों या इन विनियमों में उपबंध या निर्वचन नहीं किया गया है, लागत के अवधारण की प्रक्रिया आयोग द्वारा अवधारित की जाएगी।

7. निरसन और व्यावृत्तियां. –

- (1) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (उत्पादन लागत का अवधारण) विनियम, 2009, उस तारीख से निरस्त हो जाएंगे जिस तारीख को ये विनियम प्रवृत्त होंगे।
- (2) ऐसे निरसन में किसी बात के होते हुए भी, –
 - (क) ऐसे निरसन से पूर्व, निरसित किए गए विनियमों के अधीन, किया गया कुछ भी या की गई या किया जाना या की गई तात्पर्यित कोई कार्यवाई, या कोई कार्यवाही या निर्णय, आरंभ की गई जांच या आरंभ किया गया अन्वेषण, इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया या लिया गया समझा जाएगा;
 - (ख) निरसित विनियमों का प्रवर्तन या तदधीन सम्यक् रूप से किया गया या भुक्त कुछ भी, तदधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, या तदधीन घटित कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार अप्रभावित रहेंगे मानो निरसित विनियम कभी निरसित ही न किए गए हों;
 - (ग) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (उत्पादन लागत का अवधारण), 2009 के निरसन के पश्चात्, आयोग द्वारा जारी उनके कोई प्रतिनिर्देश जिसके अंतर्गत कोई विनियम, निदेश या विनिश्चय भी हैं, इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों का प्रतिनिर्देश होना समझा जाएगा।

इंदर पाल सिंह बिन्द्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./82/2025-26]

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2025

The Competition Commission of India (Determination of Cost of Production) Regulations, 2025 (No. 02 of 2025)

F.No. CCI/ Reg-COP/01/ 2025-26.—In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short Title And Commencement. –

- (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Determination of Cost of Production) Regulations, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. DEFINITIONS.—

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires –
 - (a) “Act” means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);
 - (b) “average variable cost” means total variable cost divided by total output during the referred period;
 - (c) “Cost” as used in Regulation 3 and its derivation may have reference to:
 - i. “total cost” means the actual cost of production including items, such as cost of material consumed,

direct wages and salaries, direct expenses, depreciation, work overheads, quality control cost, research and development cost, packaging cost, administration overheads attributable to the product during the referred period;

- ii. “total variable cost” means the total cost referred to in clause (i) minus the fixed cost and share of fixed overheads attributable to the product, if any, during the referred period;
- iii. “total avoidable cost” means the cost that could have been avoided if the enterprise had not produced the quantity of extra output during the referred period;
- iv. “average avoidable cost” is the total avoidable cost divided by the total output during the referred period, considered for estimating ‘total avoidable cost’;
- v. “long run average incremental cost” (LRAIC) means average of all variable and fixed costs including any sunk costs, that are directly or indirectly attributable to the production of a specific product or service, including any product-specific fixed costs incurred before or during the period under investigation. In the case of multi-product enterprises, LRAIC also includes a proportionate share of common costs, to the extent that such costs are caused by or incrementally attributable to the production of the product or service in question;
- vi. “average total cost” is total cost divided by total output during the referred period ;
- (d) “Commission” means the Competition Commission of India established under sub-section (1) of section 7 of the Act;
- (e) “product” means the goods or services, as the case may be, as defined in the Act;
- (f) “marginal cost” is the change in total cost that arises when the quantity produced changes by one unit.
- (2) Words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act or the Companies Act, 2013 (18 of 2013), as the case may be.

3. DETERMINATION OF COST. –

“Cost” in the Explanation to section 4 of the Act shall, generally, be taken as average variable cost, as a proxy for marginal cost:

Provided that in specific cases, for reasons to be recorded in writing, the Commission may, depending on the nature of the industry, market and technology used, consider any other relevant cost concept such as average total cost, average avoidable cost, or long run average incremental cost.

4. ENGAGEMENT OF EXPERTS. –

- (1) In arriving at the figures of costs, the Commission or the Director General, as the case may be, may take the help of suitable experts.
- (2) Where a party to the proceedings disputes the cost determined by the Commission under regulation 3, it may, for reasons to be submitted in writing, request the Commission to appoint expert (s) for assisting in determining the cost.
- (3) On consideration of the request made by a party to the proceedings, the Commission may, where it so decides, appoint expert(s) of its choice, at the cost of the party making the request, to enable it to determine the cost.

5. REQUEST FOR CONFIDENTIALITY. –

Any request for confidentiality of the documents submitted to the Commission or the Director General, as the case may be, shall be duly considered in accordance with the procedure laid down in the Competition Commission of India (General) Regulations, 2024.

6. REMOVAL OF DIFFICULTY. –

In a situation not provided for in the Act, rules or these regulations or in the matter of their interpretation, the procedure for determining the cost shall be determined by the Commission.

7. REPEAL AND SAVINGS. –

- (1) The Competition Commission of India (Determination of Cost of Production) Regulations, 2009, stand repealed from the date on which these regulations come into force.
- (2) Notwithstanding such repeal, –
 - (a) anything done or any action taken or purported to have been done or taken, or any proceedings or decision, inquiry or investigation commenced under the repealed regulations, prior to such repeal, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations;

- (b) the operation of the repealed regulations or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred thereunder, or any investigation, legal proceeding or remedy ensued thereunder, shall remain unaffected as if the repealed regulations have never been repealed;
- (c) after the repeal of the Competition Commission of India (Determination of Cost of Production) Regulations, 2009, any reference thereto including in any regulations, direction or decision issued by the Commission, shall be deemed to be a reference to the corresponding provisions of these regulations.

INDER PAL SINGH BINDRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./82/2025-26]